[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 19

[दि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रिलेटेड लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन।

2. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 [जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम कहा गया है] की धारा 2 की उपधारा (1) में,— 1996 का 27

(क) खंड (क) के उपखंड (iii) में ''राज्य की सरकार'' शब्दों के स्थान पर, ''यथास्थिति, राज्य की सरकार या संघ राज्यक्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ञ) में, ''ऐसे सन्निर्माण की कुल लागत दस लाख रुपए से अधिक नहीं है'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे सन्निर्माण की कुल लागत ऐसी रकम से अधिक नहीं है जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन।

3. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) प्रत्येक भवन कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा रहा है इस अधिनियम के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा।''।

धारा 18 का संशोधन।

4. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जब तक उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है, तब तक निम्नलिखित व्यक्ति भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने की तारीख से एक बोर्ड गठित करेंगे और ऐसे बोर्ड को ऐसे प्रारंभ की तारीख से इस अधिनियम के सभी उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए स्थापित और गठित किया हुआ माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) श्रम से संबद्ध विभाग का भारसाधक सचिव — अध्यक्ष;

(ख) वित्त से संबद्ध विभाग का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्देशिती— सदस्य;

(ग) योजना से संबद्ध विभाग का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्देशिती — सदस्य;

(घ) समाज कल्याण से संबद्ध विभाग का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्देशिती — सदस्य।''।

धारा 24 का संशोधन।

5. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) में, ''उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्ययों के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय'' शब्दों के स्थान पर, ''उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्ययों के ऐसे प्रतिशत से अधिक व्यय जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 42 का संशोधन।

6. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) में,—

(i) ''उस सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को निरीक्षण महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी जो निरीक्षण के मानक अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''उस सरकार के ऐसी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों को जो दस से अनधिक होंगे, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी जो कि केंद्रीय सरकार के साथ उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समन्वय करेंगे'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) ''संपूर्ण भारत'' शब्दों के स्थान पर, ''संबंधित क्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 3

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का संशोधन

1996 का 28

धारा 2 का संशोधन।

7. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ककक) ''नियोजक'' का वही अर्थ है जो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) में है;'।

1996 का 27

धारा 3 का संशोधन।

8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में, ''ऐसे उपकर का संग्रहण करने में हुए व्यय की, जो संगृहीत रकम के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कटौती करने के पश्चात् बोर्ड को संदत्त किए जाएंगे'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे उपकर का संग्रहण करने में हुए व्यय की, जो संगृहीत रकम के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कटौती के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को संदत्त किए जाएंगे'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन।

9. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में ''केंद्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन का विनियमन करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों का उपबंध करने तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण की योजनाओं के संसाधनों का संवर्धन करने के लिए, सन्निर्माण की लागत के आधार पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करता है।

2. इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई कठिनाइयों के आधार पर राज्य सरकारों ने इन अधिनियमों के कतिपय उपबंधों के संशोधन का सुझाव दिया है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन केन्द्रीय सलाहकार समिति ने पिछले दशक के दौरान हुए अनुभव के साथ-साथ विभिन्न पणधारियों से प्राप्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के उपबंधों की जांच करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है।

3. केन्द्रीय सरकार ने कार्य दल की सिफारिशों पर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया है, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में ''स्थापन'' की परिभाषा में सन्निर्माण की अधिकतम लागत के स्थान पर उक्त अधिनियम के लागू होने के लिए दस लाख रुपए करने के लिए सशक्त करना;

(ख) कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण की परिधि का प्रवर्धन करने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन करना;

(ग) केन्द्रीय सरकार को राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपगत प्रशासनिक व्ययों की कुल लागत की प्रतिशतता को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 24 की उपधारा (1) का संशोधन करना; और

(घ) राज्य सरकारों को किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालयों में परिवाद फाइल करने के लिए सशक्त बनाने हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 12 की उपधारा (3) का संशोधन करना।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
12 दिसम्बर, 2012

मल्लिकार्जुन खरगे

उपाबंध

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं।

(क) ''समुचित सरकार'' से अभिप्रेत है—

* * * * *

(iii) किसी ऐसे अन्य स्थापन के संबंध में, जो भवन कर्मकारों का नियोजन सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से करता है उस राज्य की सरकार, जिसमें वह अन्य स्थापन स्थित है;

* * * * *

(ञ) ''स्थापन'' से अभिप्रेत है सरकार का या उसके नियंत्रण के अधीन कोई स्थापन, कोई निगमित निकाय या फर्म, कोई व्यष्टि या व्यष्टि संगम या अन्य व्यष्टि-निकाय, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कर्मकारों को नियोजित करता है, और इसके अंतर्गत ठेकेदार का कोई स्थापन है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यष्टि नहीं है जो ऐसे कर्मकारों को अपने निवास के संबंध में किसी भवन या सन्निर्माण कार्य में नियोजित करता है, ऐसे सन्निर्माण की कुल लागत दस लाख रुपए से अधिक नहीं है।

* * * * *

12. (1) प्रत्येक भवन कर्मकार, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कम से कम नब्बे दिन तक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा रहा है, इस अधिनियम के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा। भवन कर्मकारों का हिताधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण।

* * * * *

24. (1) * * * भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि और उसका उपयोजन।

(3) कोई बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष में, अपने सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक मद्धे और अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्ययों के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा।

* * * * *

अध्याय 8

निरीक्षण कर्मचारिवृन्द

42. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को निरीक्षण महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी जो निरीक्षण के मानक अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे सभी स्थापनों के संबंध में जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, संपूर्ण भारत में निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। महानिदेशक, मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों की नियुक्ति।

* * * * *

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
(1996 का अधिनियम संख्यांक 28) से उद्धरण

* * * * *

उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण।

3. (1) * * *

(3) उपधारा (2) के अधीन संगृहीत उपकर के आगम, संग्रहण करने वाले स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपकर का संग्रहण करने में हुए व्यय की, जो संगृहीत रकम के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कटौती करने के पश्चात् बोर्ड को संदत्त किए जाएंगे।

* * * * *

शास्ति।

12. (1) * * *

(3) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

* * * * *

GMGIPMRND—5690RS(S3)—13.03.2013.